कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी (भारतीय चिकित्सा परिषद निर्वाचन 2019-20)
आर्युवैदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय
डाण्डा लखौण्ड नियर आई0टी0पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्याः- 11847-51/2019-20 दिनांक 24.12.2019

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-1 की विज्ञप्ति संख्या-1116/XVIII(1)/2008-27/2003 दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 के क्रम में आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 1183/XXXX/2018-27-2003 दिनांक 01 अगस्त, 2018 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम-1939) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (अधिनियम संख्या-10 वर्ष 1939) की धारा-5 की उपधारा-1 के खण्ड-6 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड वैद्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 03 सदस्य तथा रजिस्टर्ड हकीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 01 सदस्य का निर्वाचन उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन बोर्ड चुनाव नियमावली-1956 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 12 के अनुसार कराया जाना है।

2. वैद्यों/हकीमों हेतु निर्वाचन क्षेत्रः-

अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के खण्ड-6 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड वैद्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 03 सदस्य तथा रजिस्टर्ड हकीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 01 सदस्य का निर्वाचन, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी रजिस्टर्ड वैद्यों एवं हकीमों की सूची के आधार पर किया जायेगा। जिनके निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-1 की विज्ञाप्ति सं0-1116/XVIII(1)/2008-27/2003 दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 के पैरा-4 में दिये निर्देशों के अनुरूप निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

1. **वैद्य निर्वाचन क्षेत्र कुमांयू मण्डल-**
   (जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, अल्मोडा, चम्पावत, पिथौरागढ एवं बागेश्वर)
2. **वैद्य निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल मण्डल -** (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
   (जनपद देहरादून, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग)
3. **वैद्य निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार -** (जनपद हरिद्वार)
4. **हकीम निर्वाचन क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड**

3. निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत् होगाः-

क	नाम निर्देशन पत्रों का वितरण व स्थान	08 जनवरी, 2020 (प्रातः 10.00 बजे से 03.00 बजे तक) सभा कक्ष, निदेशालय आयुर्वेद व यूनानी सेवाएं देहरादून उत्तराखण्ड
ख	नाम निर्देशन का दिनांक व स्थान	10 जनवरी, 2020 तक (प्रातः 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक) सभा कक्ष, निदेशालयं आयुर्वेदिक व यूनानी सेवाएं देहरादून उत्तराखण्ड
ग	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व स्थान	13 जनवरी, 2020 तक (प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ) सभा कक्ष, निदेशालय आयुर्वेद व यूनानी सेवाएं देहरादून उत्तराखण्ड।
घ	उम्मीदवारी वापस लेने का अन्तिम दिनांक व स्थान	16 जनवरी, 2020 से (सायं 05.00 बजे तक) सभा कक्ष, निदेशालय आयुर्वेद व यूनानी सेवाए देहरादून उत्तराखण्ड।
ड	मत देने के पश्चात शलाका पत्र (Ballot Paper) निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक व स्थान	18 फरवरी, 2020 तक (सायं 05.00 बजे तक) (उक्त तिथि एवं निर्धारित समय के उपरान्त डाक वितरण में बिलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारण से बिलम्ब से प्राप्त होने वाले शलाका पत्र (Ballot Paper) स्वीकार नहीं किये जायेगे।) निदेशालय कार्यालय, आयुर्वेद व यूनानी सेवाएं डाण्डा लखौण्ड नियर आई0टी0पार्क, देहरादून
च	मतगणना दिनांक व स्थान	19 फ़रवरी, 2020 (प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ) सभा कक्ष, निदेशालय आयुर्वेद व यूनानी सेवाएं देहरादून।

4. यदि कोई निर्वाचक उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अधिनियम की धारा-5 के उपनियम-1 के खण्ड-6 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, नाम निर्दिष्ट (Nomination) होना चाहता हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र, आकार पत्र-3 में पूर्णरूप से भरकर निर्वाचन अधिकारी को इस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर देना होगा। प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा-5 के उपनियम (1) के खण्ड-6 के अधीन नाम निर्दिष्ट करने वाला प्रत्येक सदस्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से होगा।
5. नाम निर्देशन पत्र पर इस आशय से कि उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन से सहमत है, वह अपने हस्ताक्षर करेगा। उसी नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में दो निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे। निर्धारित दिनांक समय एवं स्थान पर प्राप्त न होने वाले नाम निर्देशन पत्र तुरन्त अस्वीकार कर दिये जायेगे।
6. निर्वाचकों की सूची निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अवलोकित की जा सकती है तथा नियम-9(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क देकर सूची प्राप्त की जा सकती है।
7. प्रत्येक निर्वाचक के पास शलाका पत्र (Ballot Paper) प्रेक्षण प्रमाण पत्र (Certificate) डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(आनन्द स्वरूप) निर्वाचन अधिकारी

Scanned by CamScanner